(3) बाल-अपराधियों तथा अपराधियों का सुधार:
Reform of delinquents and and Criminals):-

मनोविज्ञान ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि अपराधियों को भी सुधारकर स्वस्थ-सामान्य नागरिक बनाया जा सकता है। चोर, डकैत, खूनी या चरित्रहीन व्यक्ति को जेल देकर सुधारना संभव नहीं है। देखने में अधिकांशतः यही आता है कि जो अपराधी एक बार जेल जाता है, वह और भी बड़ा अपराधी बनकर जेल से बाहर निकलता है। अतः समाज के इस अंग को ठीक करने के लिए उसकी अनुभूतियों को समझकर उसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है।

किसी रोगी को सजा देकर नहीं सुधारा जा सकता। यह काम मनोविज्ञान के अध्ययन से ही संभव है। अपने देश में भी अपराधियों, विशेषकर बाल-अपराधियो (delinquents) को सुधारने के लिए सुधार-केन्द्रों की स्थापना हुयी है। इन केन्द्रों में अपराधियों को समझने और सुधारने का काम हो रहा है। मनोविज्ञान की नजर में अपराधी भी एक तरह के मानसिक रोगी ही हैं, जिन्हें सुधारने के लिए स्नेह और धैर्य की जरूरत है। आज न्यायाधीशों तथा पुलिस अधिकारियों को भी मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें अपराधियों का सही-सही पता लगाने तथा अपराध के कारण समझने में सहायता मिलती है। अपराधी को समझने के लिए अपराध की परिस्थितियों और कारणों को समझना आवश्यक है।

(4) बाल-निर्देशन (child guidance):
बाल-निर्देशन का अर्थ है, बच्चे के स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दिशा-निर्देशन करना।

Ajanta
Page No. 14
Date

किसी भी देश और समाज का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है, अतः बच्चों के विकास का समुचित प्रबन्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। बाल-मनोविज्ञान के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि बच्चे के विभिन्न शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह होते हैं, किस उम्र में एक स्वस्थ बच्चे का किस स्तर तक विकास हुआ है इत्यादि। इन बातों के आधार पर किसी बच्चे की योग्यताओं को मापा जाता है, और मापकर उसके संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। इस भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए निर्देशन (Guidance) की जरूरत होती है। बच्चे की प्रत्येक योग्यता विकासोन्मुख रहती है। उसे सही रास्ता बतलाने की जरूरत होती है। मार्ग-निर्देशन का यह काम मनोविज्ञान के अध्ययन से ही संभव है। योग्यता और क्षमता के अनुसार निर्देशन के लिए आज कई बाल-निर्देशन-संस्थाएँ (Child Guidance Institute) काम कर रही हैं। इस तरह, मनोविज्ञान का यह सुन्दर उपयोग हमारे समक्ष है।

(5) शैक्षणिक निर्देशन और सुधार (Educational Guidance and Reforms):-

आजकल स्कूल तथा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को कई वैकल्पिक विषयों में कुछ का चुनाव करना पड़ता है। विषय का चुनाव विद्यार्थी की योग्यता और अभिक्षमता के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए मनोवैज्ञानिक की सहायता अपेक्षित है, जो योग्यता और अभिक्षमता (aptitude) को मापकर विषयों के चुनाव के संबंध में सही निर्देश दे। इस सिलसिले में इन दिनों प्रशिक्षित स्कूल-परामर्शदाताओं (School Counsellors) की बहाली स्कूलों में हो रही है। ये परामर्शदाता (जो मनोवैज्ञानिक होते हैं) विद्यार्थियों की योग्यता और अभिक्षमता को मापकर उन्हें अनुकूल निर्देशन देते हैं। ऐसे विषयों को पढ़ने से विद्यार्थी अपनी योग्यता ठीक अभिव्यक्त कर पाते हैं और पढ़ाई में उनका मन भी लगता है।